

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/83/2015/32
प्रति

भोपाल दिनांक /2017

संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय,
भोपाल

विषय:-दतिया विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य शासन ने दतिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है अतः संलग्न सूचना नगर के प्रचलित ऐसे एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा दतिया नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तदनुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि

567/TC
02/06/17

Sachin
(सुप्रिया पेडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक / /2017

पृ0क्रमांक एफ 3-83/2015/32
प्रतिलिपि :-

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त सूचना को बेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

Sachin
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
क्र. 688
02/06/17
शाखा
आयुक्त

TC
3/2/6

54
5/6

ADM CA.
5/6/17

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-83/2015/32
प्रति,

भोपाल दिनांक 29/5/2017

1. कलेक्टर,
जिला दतिया
2. संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
ग्वालियर ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत दतिया
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद दतिया।

विषय :-दतिया विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने दतिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्था कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि

Suprat
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

8/5/17
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 29/5/2017

पृ0क0-एफ 3-83/2015/32
प्रतिलिपि :-

आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को
संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Suprat
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

8/5/17
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated 29-5-17

No. F-3/83/2015/18-5 : It is hereby notified that the state government proposes to modify the provisions of Datia Development Plan 2021 under Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), as Specified in the Schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE FOR MODIFICATION

Modifications have been proposed in clause 6.2, 6.3, 6.5, 6.5.1, Teep-2 of Table 6-T-3, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.9, 6.12d, 6.13, 6.13.1, 6.15, 6.17, Chapter-7 Implementation of Development Plan, Defination of Premises - 122 Multiplex of Anexture-1 Datia development plan 2021.

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of the Collector Datia, Joint Director, Town and Country Planning, District office Gwalior as well as on the website www.mptownplan.nic.in.

Henc State Government hereby proposes to publish modifications for the public information under section 23(a)(2) of the Act, copy of which shall be available for inspection to the public in the office of the Collector Datia, Joint Director, Town and Country Planning, District office Gwalior after publication of this notice in the daily Newspapers during office hours of working days.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of Publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Ministry of Urban Development and Housing Department, Bhopal or Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh

Urban Development And

Housing Department

D
27/5/17

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

—: सूचना :—

भोपाल दिनांक 29/5/2017

क्रमांक-एफ-3/83/2015/18-5 :-एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) की धारा 23-"क" की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार ने दतिया विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किये हैं:-

उपांतरण का विवरण

दतिया विकास योजना 2021 के अध्याय-6 की कंडिका 6.2, 6.3, 6.5, 6.5.1, सारणी 6-सा-3 की टीप-2, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.9, 6.12द, 6.13, 6.13.1, 6.15, 6.17, अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन, कंडिका 7.2, अनुसूची-1 परिसरों की परिभाषाये - 122 मल्टीप्लेक्स में उपांतरण प्रस्तावित किए गए हैं।

उपरोक्त उपांतरण का विस्तृत अवलोकन कलेक्टर कार्यालय जिला दतिया, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय ग्वालियर के कार्यालय के साथ ही www.mptownplan.nic.in की वेबसाईड पर किया जा सकता है।

2/ अतः उक्त अधिनियम की धारा 23(क) (2) के अधीन राज्य सरकार उपांतरण के प्रारूप को सर्व साधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करती है, जिसकी प्रति संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय ग्वालियर एवं कलेक्टर जिला दतिया के कार्यालय में सूचना के स्थानीय दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

3/ उक्त उपांतरण विवरण के प्रावधान के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे इस सूचना के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के तिथि से 15 दिन की कालावधि के भीतर अवर सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय या संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय ग्वालियर को लिखित रूप से प्रस्तुत किए जावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.के.साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

29/5/17

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//सूचना//

भोपाल, दिनांक २१ / ५ / २०१७

क्रमांक एफ-३-८३/२०१५/१८-५ :: एतद् द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) १९७३ (क्रमांक-१ सन् २०१२) की धारा २३-"क" की उपधारा (१) के खण्ड(क) के अधीन राज्य सरकार ने दतिया विकास योजना २०२१ में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किये है :-

(अधिसूचना में उपांतरण का विवरण)

अनु. क्र.	उपांतरण विवरण
1	<p>६.२ (१) क्षेत्राधिकार</p> <p>इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा १३(१) एवं १३(२) के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-१९८४ में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>६.२ (१) क्षेत्राधिकार</p> <p>इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा १३(१) एवं १३(२) के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-२०१२ में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।</p>
२.	<p>६.३ परिभाषायें - एकल/संयुक्त परिवार</p> <p>अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितिय बदलाव के साथ साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखंड में उप विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एक परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाता है। ऐसे परिवार में गैरेज/गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लॉक का प्रावधान हो अन्य परिभाषायें म.प्र. भूमि विकास नियम १९८४ में वर्णित अनुरूप है।</p> <p>उपरोक्त कंडिका के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>६.३ परिभाषायें - एकल/संयुक्त परिवार</p> <p>अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितिय बदलाव के साथ साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखंड में उप विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एक परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाता है। ऐसे परिवार में</p>

	<p>गैरेज/गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लॉक का प्रावधान हो अन्य परिभाषायें म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में वर्णित अनुरूप है।</p>
3.	<p>6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन</p> <p>4. एक भूखण्ड में चार आवासीय इकाईयों से अधिक समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जावेगी, जब आवश्यक प्रावधान जैसे-जलप्रदाय, जल-मल निकासी तथा वाहन विराम सुविधाओं का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवायें एवं सुविधायें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये। ऐसे भूखंडों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रेखांकित किया जायेगा।</p> <p>6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के परिशिष्ट एक (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जावेगा।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न सारणी प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन</p> <p>4. एक भूखण्ड में चार इकाईयों को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जावेगी, जब आवश्यक प्रावधान जैसे-जलप्रदाय, जल-मल निकासी तथा वाहन विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवायें एवं सुविधायें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये। ऐसे भूखंडों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 79, 84 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रेखांकित किया जायेगा।</p> <p>6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के परिशिष्ट 'अ'(नियम 99) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जावेगा।</p>
4.	<p>सारणी 6-सा-2 के आवासीय भूखंडों के विकास मापदंड टीप 2</p> <p>मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों के अनुरूप होंगी।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>सारणी 6-सा-2 के आवासीय भूखंडों के विकास मापदंड टीप 2</p> <p>मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों के अनुरूप होंगी।</p>
5.	<p>6.5.1 बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण</p> <p>मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.5.1 बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण</p> <p>मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम -2012 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।</p>



6.	<p>सारणी 6-सा-3 वाणिज्यिक विकास हेतु मापदंड टीप 2</p> <p>उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>सारणी 6-सा-3 वाणिज्यिक विकास हेतु मापदंड टीप 2</p> <p>उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।</p>
7.	<p>6.7.1 ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र</p> <p>3 - 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होंगे। अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.7.1 ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र</p> <p>3 - 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होंगे। अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे।</p>
8.	<p>6.7.2 छविगृहों के लिये मापदण्ड</p> <p>छविगृहों के लिये मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.7.2 छविगृहों के लिये मापदण्ड</p> <p>छविगृहों के लिये मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p>
9.	<p>6.7.3 उपहार गृह (होटल) हेतु मापदण्ड (नगर केंद्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)</p> <p>म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.7.3 उपहार गृह (होटल) हेतु मापदण्ड (नगर केंद्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)</p> <p>म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p>
10.	<p>6.7.4 अल्पाहार गृह (रेस्टोरेंट) हेतु मापदण्ड (नगर केंद्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)</p> <p>म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p>

C.

	<p>6.7.4 अल्पाहार गृह (रिस्टोरेंट) हेतु मापदण्ड (नगर केंद्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p>
11.	<p>6.7.5 अनौपचारिक वर्ग के लिये प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :- 6.7.5 अनौपचारिक वर्ग के लिये प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p>
12.	<p>6.9 औद्योगिक विकास हेतु मानक अभिन्यास के मानक 6.9.1 फ्लेटेड फैक्ट्रियां उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :- 6.9 औद्योगिक विकास मानक अभिन्यास के मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे। 6.9.1 फ्लेटेड फैक्ट्रियां म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p>
13.	<p>6.12 द- परिसरों में वाहन विराम के मापदंड उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :- 6.12 द- परिसरों में वाहन विराम के मापदंड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट 'झ' नियम 84(1) 84(2) के मापदंड के अनुसार नियंत्रित होंगे।</p>
14	<p>6.13 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग की सारणी 6-सा-15 (1) आवासीय- सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग - व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसायिक इकाई, नर्सिंग होम, कार्यालय होटल, आटाचक्की, पेट्रोल पम्प, हल्के वाहनों की मरम्मत से संबंधित दुकानें, छविगृह, संग्रहालय पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सामुदायिक भवन तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट 'जे' भाग 1 एवं 2 में सम्मिलित उद्योग, मल्टीप्लेक्स। (2) वाणिज्यिक - सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग - धर्मशाला, सभागृह, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, कला केन्द्र, संग्रहालय, संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय एवं कर्मशाला आवासीय फ्लेट, सेवा उद्योग, प्रेस परिसर, कर्मशाला तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट 'जे' भाग 1 एवं 2 में सम्मिलित उद्योग, मल्टीप्लेक्स। (3) औद्योगिक - सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग - अ- सेवा उद्योग - पेट्रोल पंप, परिवहन संस्थायें, कूड़ाकरकट स्थान (जंकयार्ड) शोरूम</p>

	<p>दुकानें, उपहार गृह, माल गोदाम, अग्रेषण, अभिकरण म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकि से संबंधित उद्योग।</p> <p>ब- अन्य उद्योग - आवश्यक श्रमिक आवास डिपो कर्मशाला, बस टर्मिनल गृह, रेल्वे माल गोदाम सेवा कर्मशाला गोदाम, म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकि से संबंधित उद्योग।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.13 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग की सारणी 6-सा-15</p> <p>(1) आवासीय- सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग - व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसायिक इकाई, नर्सिंग होम, कार्यालय होटल, आटाचक्की, पेट्रोल पम्प, हल्के वाहनों की मरम्मत से संबंधित दुकानें, छविगृह, संग्रहालय पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सामुदायिक भवन तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(1) परिशिष्ट 'च' भाग 1 एवं 2 में सम्मिलित उद्योग, मल्टीप्लेक्स।</p> <p>(2) वाणिज्यिक - सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग - धर्मशाला, सभागृह, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, कला केन्द्र, संग्रहालय, संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय एवं कर्मशाला आवासीय फ्लेट, सेवा उद्योग, प्रेस परिसर, कर्मशाला तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(1) परिशिष्ट 'च' भाग 3 में सम्मिलित उद्योग, मल्टीप्लेक्स।</p> <p>(3) औद्योगिक - सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग -</p> <p>अ- सेवा उद्योग - पेट्रोल पंप, परिवहन संस्थायें, कूडाकरकट स्थान (जंकयार्ड) शोरूम दुकानें, उपहार गृह, माल गोदाम, अग्रेषण, अभिकरण म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकि से संबंधित उद्योग।</p> <p>ब- अन्य उद्योग - आवश्यक श्रमिक आवास डिपो कर्मशाला, बस टर्मिनल गृह, रेल्वे माल गोदाम सेवा कर्मशाला गोदाम, म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकि से संबंधित उद्योग।</p>
15	<p>6.13.1 मल्टीप्लेक्स</p> <p>विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत मल्टीप्लेक्स स्वीकृति हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान लागू है।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.13.1 मल्टीप्लेक्स</p> <p>विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत मल्टीप्लेक्स स्वीकृति हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू है।</p>
16	<p>6.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन</p> <p>नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन</p> <p>नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार होगा।</p>

17.2	<p>6.17 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. म.प्र. भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 17 (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए । 12. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये । 14. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें । <p>टीप-2- भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>6.17 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । 12. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये । 14. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49 (4) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें । <p>टीप-2- भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।</p>
18	<p>अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन</p> <p>अध्याय 7 के प्रथम पैरा की अंतिम लाईन भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-</p> <p>अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन</p> <p>अध्याय 7 के प्रथम पैरा की अंतिम लाईन भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है।</p>
19	<p>7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति 9-</p> <p>ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखंड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।</p>

C.

कंडिका 7.3 के बिन्दु क्रमांक 9 को विलोपित कर निम्न बिन्दु क्रमांक 9 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

7.2 योजना कियान्यवयन की नीति 9-

ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखंड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

20 **अनुसूची-1**

परिसरों की परिभाषाये:-

122 मल्टीप्लेक्स:

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 90(क) के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियां, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल संबंधी परिसर

को विलोपित कर निम्न प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

अनुसूची-1

परिसरों की परिभाषाये:-

122 मल्टीप्लेक्स:

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 90(क) के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियां, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल संबंधी परिसर।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(सी.के.साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग